तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 9.11.22 को पेश हो। [signature]	
9-11-22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। समयाभाव के कारण पत्रावली मे आदेश नही लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2-12-22 को पेश हो। [signature]	
2.12.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान प्रार्थी उपस्थित है। एकपक्षीय बहस T.I. मे वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी खसरा सं. 2112 वाके ग्राम बांसी भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित प्रकरणों मे अभि-निर्धारित सिद्धांतो एवं RRD 1964 पेज 88 के अनुसार साधारणतया एक सह अभिधारी किसी दूसरे सह अभिधारी के विरूद्ध आदेश प्राप्त नही कर सकता है। अत: सहखातेदार होने के कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया [illegible] साबित नही होता है। सहखाते[illegible] के कारण अपूर्णनीय [illegible] सुवि[illegible] सन्तुलन का बिन्दु भी [illegible] मे साबित नही होता है। अत: उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।	[signature] उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested